न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सं०–प्रथम, देवरिया।
उपस्थितःमृदॉशु कुमार(उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ०कोड–UP 1858
सत्र परीक्षण संख्या– 176/2011
CNR NO–UPDE010000452011

उत्तर प्रदेश राज्य

.................अभियोजन पक्ष

बनाम

1. राजू साहनी पुत्र राजमन साहनी उम्र 25 वर्ष,

2– श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी राजमन साहनी उम्र 55 वर्ष,

साकिनान – ग्राम नकईल, थाना मदनपुर, जनपद–देवरिया

..........अभियुक्त पक्ष

सत्र परीक्षण संख्या–**176/2011**
मुकदमा अपराध संख्या–308/2010
धारा– 498–A, 304–B, भा०दं०सं० &
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं
विकल्प में धारा–302/34 भा०दं०सं०
थाना–मदनपुर, जनपद–देवरिया।

1–राज्य की ओर से अधिवक्ता उपस्थितः– श्री श्रीधर तिवारी विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)

(फौजदारी)

2–अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता –	श्री सुभाष मिश्रा
3–पीड़िता/मृतका का नाम–	जामवन्ती
4– घटना का दिनांक	04.09.2010
5–अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण का दिनांक –	05.09.2010
6– आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक–	09.10.2010
7– आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का दिनांक–	07.12.2010
8– उपार्पण तिथि–	08.06.2011
9–आरोप विरचित किये जाने का दिनांक–	28.06.2011
11–अभियोजन साक्ष्य का समय–	16.10.2019 से 17.10.2024
12–बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–313 विरचित किये जाने का दिनांक–	22.10.2024
13–सफाई साक्ष्य का समय–	11.12.2024
14–अन्तिम बहस का दिनांक–	03.05.2025
15– निर्णय का दिनांक–	08.05.2025
16– अन्तिम निर्णय/निष्कर्ष–	दोषमुक्ति
17– वादी मुकदमा का नाम–	बाबूलाल साहनी
18– अभियुक्तगण का नाम–	राजू साहनी, श्रीमती बिन्दू देवी

निर्णय

1. सत्र परीक्षण संख्या–176/2011, मुकदमा अपराध संख्या–308/2010 सरकार बनाम राजू साहनी व अन्य, थाना मदनपुर, जनपद देवरिया की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण राजू साहनी पुत्र राजमन साहनी एवं श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी राजमन साहनी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498–A, 304–B भारतीय दण्ड संहिता(भा०दं०सं०) एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम(डी० पी० एक्ट), थाना–मदनपुर जनपद देवरिया में विचारण हेतु आरोप पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2– घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण उपरान्त विवेचक द्वारा वाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रेषित किया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–

का अनुपालन करते हुए अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिया प्रदान की गयी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक– 08.06.2011 को प्रकरण उपार्पित किया गया। प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–176/2011 में दर्ज रजिस्टर करते हुए इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरित किया गया। तदोपरान्त इस सत्र परीक्षण का विचारण प्रारम्भ हुआ।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी बाबूलाल साहनी द्वारा दी गयी तहरीर **प्रदर्श क–1** में कथन किया कि उसने अपनी बहन की शादी जून 2007 में राजू साहनी पुत्र राजमन साहनी ग्राम नकईल थाना मदनपुर जनपद देवरिया के साथ किया था। शादी में ही अपनी बहन की विदाई अपने हैसियत के अनुसार सामान देकर विदाई किया था। प्रार्थी एक माह बाद अपने बहन से मिलने के लिये गया तो बहन बोली कि घर वाले हमसे मोटर साइकिल और सो की चौन की मँग कर रहे हैं तो मैं कहा कि जब हमारे पास रूपया हो जायेगा तो खरीद कर दे दूंगा। यह सब बात कहकर अपने घर चला आया। इसके बाद हमारी बहन फोन पर बतायी कि घरवालो ने हमको मारा पीटा है तथा सामान की माँग की है। कल दिनांक 04.09.2010 को समय दोपहर बाद समय 3:00 बजे राजू साहनी पुत्र राजमन व सास बिन्दू देवी पत्नी राजमन साहनी द्वारा उसकी बहन जामवन्ती को भोजन में जहर दे दिये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी सूचना मिलने पर हम लोग उसके गाँव रात में गये थे लाश दरवाजे पर पड़ी है मैं थाने पर सूचना को आया हूं।

4– वादी मुकमदा बाबूलाल साहनी की तहरीर के आधार पर थाना–मदनपुर, जनपद देवरिया में अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी के विरूद्ध दिनांक–05.09.2010 को समय 07:45 बजे मुकदमा अपराध संख्या 308/2010 अन्तर्गत धारा–498–A, 304–B भा०दं०सं०एवं धारा–3/4 डी०पी०एक्ट, में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिया एवं उपार्पण पश्चातअभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या–176/2011 , मुकदमा अपराध संख्या–308/2010 में दिनांक–28.06.2011 को आरोप अन्तर्गत धारा– 498–A, 304–B भा०दं०सं०एवं धारा–3/4 डी०पी०एक्ट व वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा०दं०सं० विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य आहूत हुआ।

6– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य:–

अभियोजन कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्यों में साबित प्रपत्रों का विवरण निम्नवत हैं–

क्र.सं	साक्षी का नाम	साक्षी/साक्ष्य की	साबित प्रपत्र	प्रदर्श संख्या

.		प्रकृति		
1	पी०डब्लू० 1, बाबूलाल	वादी मुकदमा/सूचना कर्ता	तहरीर, का०सं०–5 क/1, पंचायतनामा का०सं०–9 क/1 ता 9 क/2	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2
2	पी०डब्लू० 8, –डा० राजेश कुमार	पोस्टमार्टम रिपोर्ट,	कागज सं०–15 क/1	प्रदर्श क–3
3	पी०डब्लू०–9 विदेशी (विदेशीराम तहसीलदार)	C.M.O पत्र R.I. प्रपत्र फोटोनाश नमूना मोहर पुलिस फार्म–13	का०सं०–7 क/1, का०सं०–10 क/2 का०सं०–11 क/2 का०सं०–12 क/1 का०सं०–13 क/1	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7
4	पी०डब्लू०–10 गिरिजेश सिंह (द्वितीयक विवेचक)	चिक F.I.R. जी०डी०कायमी डाकेट विसरा	का0 सं०–4 क/1, का0 सं०–4 क का0 सं०–17 क/1,	प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10
5	पी०डब्लू–11, रमेश प्रसाद गुप्ता	नक्शानजरी आरोप पत्र विसरा रिपोर्ट	का0 सं०–14 क/1, का0 सं०–3 क/1, का0 सं०–47 क/2,	प्रदर्श क–9(संशो०प्र०–11) प्रदर्श क 10(संशो०प्र०–12) प्रदर्श क 11(संशो०प्र०–13)

7– **अभियोजन के मौखिक साक्ष्य:–**

पी०डब्लू०–1 वादी बाबूलाल(भाई मृतका), पी०डब्लू०–2 संगम साहनी, पी०डब्लू०–3 राजू साहनी(भाई), पी०डब्लू०–4 सोनकेशा, पी०डब्लू०–5 कुसुम देवी, पी०डब्लू०–6 रामदेव साहनी, पी०डब्लू० 7–रामनाथ यादव(तहरीर लेखक), पी०डब्लू० 8–डा० राजेश कुमार, पी०डब्लू० 9–विदेशी (विदेशीराम तहसीलदार), पी०डब्लू० 10–गिरिजेश सिंह, पी०डब्लू०–11 रमेश प्रसाद को परीक्षित कराया गया।

8– बचाव पक्ष की ओर से निम्नलिखित मौखिक तथा दस्तावेजी सफाई साक्ष्य अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किये गये।

क्र.सं.	**साक्षी का नाम**	**प्रपत्रों का विवरण**	**प्रदर्श संख्या**
1–	डी०डब्लू०–1, रामकेवल गौड़	–	–

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जो इस प्रकार है कि:–

10– अभियोजन के प्रथम **साक्षी पी०डब्लू० 1 श्री बाबूलाल** ने अपनी शपथ पर मुख्य

परीक्षा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," उसने अपनी बहन जामवन्ती देवी की शादी घटना से 8 वर्ष पहले राजू साहनी पुत्र राजमन के साथ हुई थी।शादी मे राजू सहानी के घरवालों द्वारा किसी प्रकार का कोई दान दहेज व मोटरसाइकिल की मांग नही किया गया था। उसकी बहन जामवन्ती ने ससुराल में अपने पति, ससुर व सास की दहेज को लेकर कभी कोई शिकायत नही की थी। उसकी बहन ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी ने उसकी बहन को जहर देकर नही मारा था। उसकी मृत्यु कब कैसे और किन परिस्थितियों में हुई थी। साक्षी को आज तक उसकी जानकारी नही हुई। घटना की सूचना गांव के किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर दिया गया था। गलतफहमी वश व लोगो के कहने पर अपने गांव के रामनाथ यादव से दरखास्त लिखवाकर थाने पर दिया था। उस दरखास्त में उन्होंने क्या लिख दिया था उसे पढ़कर नही सुनाया था। वह उनके कहने पर अपना हस्ताक्षर बना दिया। पत्रावली में शामिल का० सं०–5क/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था जिसे साक्षी ने **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया। क्षेत्राधिकारी/दरोगा जी ने कोई बयान नही लिया था। शव का पंचायतनाा मौके पर तैयार किया गया था। पंचायतनामा पर मैं भी हस्ताक्षर किया था। पत्रावली में शामिल का०सं०–9क/1 लगायत 9क/2 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही कागज है जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–2** पड़ा है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

11– अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित द्वितीय साक्षी **पी०डब्लू० 2 संगम साहनी** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" उसकी पुत्री का नाम जामवन्ती था उसकी शादी जून 2007 में राजू सहानी पुत्र राजमन साहनी के साथ हुई थी। शादी में कोई विवाद नही हुआ था। शादी के एक माह बाद उसका पुत्र बाबूलाल अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया वहाँ पर उसकी बहन ने बताय कि उसकी सास बिन्दु देवी, पति राजू साहनी सोने की चैन व मोटरसाइकिल के लिए उसे मारते पीटते हैं। उक्त बात बाबूलाल ने घर आकर बताया तब साक्षी ने राजू साहनी व बिन्दू देवी से कहा कि व्यवस्था होने पर दे दूंगा। शादी के बाद उसकी पुत्री दो–तीन बार घर आयी और माटरसाइकिल व सोने की चैन की बात रो रोकर बताती थी। उसकी दूसरी बेटी की शादी वर्ष 2010 जून माह में तय थी। बाबूलाल जामवन्ती को बुलाने उसके ससुराल गया तब जामवन्ती ने कहा कि जब तक मोाटरसाइकिल व चैन नही दोगे यह लोग मुझे मारते पीटते रहेंगे। शादी बीत जाने के बाद राजू साहनी अपने पट्टीदार के दो लड़को को लेकर उसके घर आये और जामवन्ती को विदा कर ले जाने की बात करने लगे। उन लोगो ने कहा कि जब मोटरसाइकिल व सोने की चैन का इन्तजाम हो जायेगा तब विदा कर देंगे तब राजू ने कहा कि अब जामवन्ती को मोटरसाइकिल व चैन के लिए प्रताड़ित नही किया जायेगा और उसको विदाकर ले गये। बाद में उसकी पुत्री को फिर मारा

पीटा व प्रताड़ित किया जाने लगा। घटना 9 माह 2010 को उसकी बड़ी लड़की के पास किसी ने फोन किया कि तुम्हारी बहन जामवन्ती को उसके पति व सास के द्वारा जहर देकर मार दिया गया है। वह मर चुकी है फिर कुसुम ने सूचना अपने पिता को दिया। वह उस समय घर से बाहर था जब अगले दिन घर आया तो परिवार के सारे लोग नकईल चले गये थे। घर पर नही थे इसलिए वह उनको छोड़कर नकईल नही आ पाया। उसकी पुत्री को ससुराल वालों ने खाने में जहर मिलाकर मार डाला है।

12— अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित द्वितीय साक्षी **पी०डब्लू० 2 संगम साहनी** ने अपनी शपथ पर पुनः परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" आज से पहले मेरा न्यायालय में दो बार बयान हुआ है दिनांक 29.03.2022 को मैंने न्यायालय में आकर मुख्य परीक्षआ में अपना बयान दिया था। मैने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था वह बयान मैंने गांव वालो के लिखाने पढ़ाने पर दे दिया था। मुझे ऐसा बयान किसने सिखाया पढ़ाया था उसका नाम मुझे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि मैंने मुख्य परीक्षा में सही बात बतायी थी। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में झूंठा बयान दिया था। यह कहना गलत है कि मैने अपने बयान दिनांक 29.03.2022 जैसी घटना घटित हुई थी वैसा सही बयान दिया था। यह कहना गलत है अभियुक्तगण से अनुचित लाभ लेकर मैंने दिनांक 27.06.2022 व आज जो बयान दे रहा हूँ वह गलत दे रहा हूँ सही बात नही बता रहा हूं। परिवार के सदस्य तथा जमवन्ती शादी से खुश थी। शादी में कोई विवाद नही हुआ था। मेरी लड़की की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई थी। मेरी लड़की की मृत्यु कैसे हुई मुझे जानकारी नही है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13— अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 3 राजू साहनी पुत्र संगम साहनी** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा यह आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि"उसकी बहन का नाम जामवन्ती था उसकी शादी जून 2007 में राजू साहनी पुत्र राजमन साहनी के साथ हुई थी। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर विदा किया था। उसके पति राजू साहनी व सास बिन्दू देवी कभी मोटरसाइकिल व सोने की चैन की मांग नही करते थे ना ही उसे प्रताड़ित करते थे। सितम्बर 2010 में उसकी मृत्यु उसके ससुराल में हो गयी थी। वह उस समय हैदराबाद में गोदरेज अलमारी बनाने का काम करता था। इसलिए वह उस समय नही आ पाया। उसकी बहन की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में साक्षी को कोई जानकारी नही है। विवेचक ने मेरा बयान नही लिया था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14— अभियोजन द्वारा परीक्षित चतुर्थ साक्षी **पी०डब्लू० 4 सोनकेसा देवी** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ,"उसकी लड़की का नाम जामवन्ती थी। उसकी शादी जून 2007 में राजू साहनी के साथ हुई थी। शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज

देकर विदाई शादी में ही कर दी थी। शादी में या शादी के वाद दोनो परिवार के बीच दहेज को लेकर कभी कोई विवाद नही हुआ था। जामवन्ती अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। उसके पति राजू साहनी व सास बिन्दू देवी उसे कभी किसी बात को लेकर प्रताड़ित नही करते थे। जामवन्ती ने कभी अपने ससुराल में किसी व्यक्ति की शिकायत नही की थी। सितम्बर 2010 में उसके मरने की सूचना मिली थी। सूचना पर घर के लोग उसके ससुराल गये थे। जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई इसकी मुझे जानकारी नही है। विवेचक साक्षी का बयान नही लिया था। यह साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 5 श्रीमती कुसुम देवी** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ,"जामवन्ती उसकी छोटी बहन थी। उसकी शादी जून 2007 में राजू साहनी पुत्र राजमन साहनी के साथ हुई थी। शादी में ही जामवन्ती की विदाई हो गयी थी। शादी में अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर विदा किया था। शादी में दोनो परिवार के बीच दहेज को लेकर कोई विवाद नही था। उसका पति राजू साहनी व सास बिन्दू देवी दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चैन की मांग नही करते थे ना ही उसे प्रताड़ित करते थे। जामवन्ती की शादी के बाद वह अपनी ससुराल चली गयी थी। जामवन्ती ने कभी फोन करके या मिलने पर अपने ससुराल वालों की शिकायत नही किया। आज से लगभग 12–13 वर्ष पहले जामवन्ती की मृत्यु की जानकारी उसे मायके से मिली। उसकी मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में हुयी मुझे नही मालूम। विवेचक ने इस साक्षी का बयान नही लिया था।" यह साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

16– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 6 रामदेव साहनी** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," इनका घर संगम साहनी के घर के बगल में है। जामवन्ती की शादी में वह मौजूद थे। शादी जून 2007 में नकईल निवासी राजू साहनी के साथ हुई थी। शादी के बाद जामवन्ती विदा होकर अपने ससुराल चली गयी। सितम्बर 2010 में वह रोजगार के सिलसिले में मुम्बई गया हुआ था। घरवालो के द्वारा जानकारी मिली कि जामवन्ती की मृत्यु उसके ससुराल में हो गयी है। वह नकईल नही गया था। जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई इसकी उसके जानकारी नही है। उसने कभी यह नही सुना था कि जामवन्ती को उसकी सास व पति दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की सीकड़ के लिये प्रताड़ित कर रहे हैं। विवेचक ने बयान नही लिया था।यह साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

17– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 7 रामनाथ यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," वादी मुकदमा बाबूलाल साहनी इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। उनकी बहन का नाम जामवन्ती था। जामवन्ती की मृत्यु सितम्बर 2010 में हुई थी। सूचना

पर वह बाबूलाल के कहने पर अगले दिन बाबूलाल के साथ थाना मदनपुर गया था। जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे उसे कोई जानकारी नही है। बाबूलाल और दरोगा जी के कहने पर उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा था। साक्षी को **प्रदर्श–1** दिखाया गया तो साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया और कहा कि यह प्रार्थना पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। विवेचक ने उसका बयान नही लिया था।

18– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 8 डा० राजेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया** कि ," दिनांक 05.09.2010 को वह बतौर चिकित्सक जिला देवरिया में तैनात थे। उस दिन उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन मृतका जामवन्ती देवी पत्नी राजू साहनी को पोस्टमार्टम हेतु कां० मुन्ना प्रसाद व शौकत अली द्वारा लाया गया। शव के साथ कुल नौ पुलिस प्रपत्र लाये गये जिनका अवलोकन कर मैंने अपना हस्ताक्षर अंकित किया था। शव की सील का मिलान किया सील इंटेक्ट पायी गयी। शव को पोस्टमार्टम दिन के प्रकाश में समय 4:00 पी०एम० पर प्रारम्भ किया गया। मृतका की उम्र लगभग 24 वर्ष शारीरिक बनावट औसत कद काठी की थी। अकड़न दोनो पैर में मौजूद था। दोनो आँखे कंजेस्टे थी। लार के साथ मुँह के कोर्नर पर जरा सा खून मौजूद था। शरीर के किसी भी भाग में कोई बाहरी चोटें नही थी। ब्रेन कन्जेस्टेड था। ह्रदय का वजन 180 ग्राम दांया चैम्बर आंशिक रूप से भरा हुआ , बाया चेम्बर खाली था। मुख गुहा के दांत पूरे थे। लीवर 900 ग्राम था। पिताशय खाली था। प्लीहा 110 ग्राम था। किडनी दोनो 200 ग्राम थी। मूत्राशय खाली था।

राय– मृत्यु का कारण स्पष्ठ नही था। विसरा सुरक्षित किया गया रासायनिक परीक्षण हेतु। मृतका के शरीर पर नथुनी पीली धातू की एक जोड़ी बिछिया, एक मोती की माला, एक सफेद धातु की अंगूठी एक अदद साड़ी, एक अदद पेटी कोट, एक ब्लाउज एक अदद टाप, चूड़ी जो सिल्क के कपड़े में बंधा था। उसे शव को साथ लाने वाले पुलिस कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया। पत्रावली में शामिल का०सं०– 15 क/1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा यह वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जो उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। जिस पर उसके साथ साथ पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर संजय शर्मा ने भी अपनी सहमति के साथ अपना हस्ताक्षर बनाये थे जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

19– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–9 डॉ० विदेशीराम सेवानिवृत्त तहसीलदार** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," उन्होंने दिनांक 05.09.2010 को मृतका जामवन्ती के शव का पंचायतनामा किया था। पंचायतनामा फार्म उनके बोलने पर एस०ओ० ने लिखा था। जो उन्होंने बोला एस०ओ० द्वारा अक्षरशः वही लिखा गया था। लिखने के बाद उन्होंने स्वयं पढ़ा था, पढ़कर तस्दीक किया था। पंचायतनामा पत्रावली में शामिल

का०सं०– 9क/1 व 9क/2 जिस पर पहले से ही **प्रदर्श क–2** दिनांकित 16.10.2019 अंकित है। जिस पर उनके के हस्ताक्षर हैं। जिसकी पहचान उनके द्वारा की गयी। पत्रावली में शामिल का० सं०–7क/1 रिपोर्ट थाना मदनपुर जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में शामिल का०स०–10क/2 रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक थाना मदनपुर जिला देवरिया जिस पर **प्रदर्श क–4,** पत्रावली में शामिल का०सं०–11क/1 फोटोनाश जिस पर **प्रदर्श क–5**, पत्रावली में शामिल का०सं०–12क/1 नमूना मोहर जिस पर **प्रदर्श क–6**, पत्रावली में शामिल का०सं० 13क/1 फार्म न–13 जिस पर **प्रदर्श क–7** के रूप में प्रमाणित किया। यह सभी साक्षी हस्ताक्षर में हैं जिसकी वह पहचान करते हैं।

20– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 10 गिरिजेश सिंह सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," दिनांक 05.09.2010 को वह थाना मदनपुर में कां० के पद पर तैनात थे। उनके साथ हेड मोहर्रिर संतलाल भी मदनपुर थाने पर तैनात थे। वह उनको लिखते पढ़ते व हस्ताभर बनाते देखा था तथा उनके हस्ताक्षर को पहचान सकते हैं। पत्रावली में शामिल 4क/1 चिक एफ०आई०आर० साक्षी को दिखाया गया साक्षी ने कहा कि यह चिक एफ०आई०आर० कां० मोहर्रिर संतलाल के हस्तलेख में है उस पर बने संतलाल के हस्ताक्षर को साक्षी ने पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। पत्रावली में शामिल का०सं०–7क/1 ता 7क/2 जी०डी० कायमी की प्रमाणित कार्बन प्रति साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह कार्बन प्रति कां० संतलाल के हस्तलेख में है वह उनके हस्ताक्षर की पहचान करते हैं जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। वह इस मुकदमे से संबंधित डाकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ लेकर गया था और दाखिल किया था। जिसकी रसीद का०सं०–17क/7 पत्रावली में शामिल है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पहचान करते हैं जिसे साक्षी ने **प्रदर्श क–10 के** रूप में साबित किया।

21– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 11 रमेश प्रसाद गुप्ता** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि दिनांक 05.09.2010 को वह क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर के पद पर तैनात थे। उस दिन मुकदमा अपराध सं०–308/10, धारा–498A, 304B IPC व ¾ D.P.Act थाना मदनपुर जिला देवरिया में विवेचना हेतु उनके कार्यालय में नकल चिक नकल रपट प्राप्त हुई थी। पत्रावली में शामिल का०सं14क/1 नक्शा नजरी दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह उनके द्वारा मौके पर तैयार कराया गया था जिस पर बने हस्ताक्षर की उन्होंने पहचान किया जिसे साक्षी ने **प्रदर्श क9(संशो०प्र० 11)** के रूप में साबित किया गया। साक्षी को पत्रावली में शामिल का०सं० 3/1 आरोप पत्र दिखाया गया तो उस पर बने अपने हस्ताक्षर कि पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क10(संशो०प्र० 12)** डाला गया। डाक्टर द्वारा दिये गये विसरा के सैम्पल को विधि विज्ञान

प्रयोगशाला लखनऊ भिजवाया था जो पत्रावली में का०सं०–47क/2 है जिसमें अमोनियम फास्फाइड विष पाया गया है जिस पर **प्रदर्श क–11(संशो०प्र०–11)** डाला गया।

22– **<u>बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं०:</u>**

अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त धारा–332 दं०प्र०सं० के अधीन दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 अंकित किये गये प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग न करने, मृतका को प्रताड़ित न करने तथा उसकी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने का कथन किया गया। जामवन्ती सुन्दर और गोरी थी मैं काला हूँ। राजू उसे पसन्द नही था। वह इस बात से परेशान व बीमार भी रहती थी। वह बार बार अपनी जान स्वयं देने की बात करती थी। राजू उसका हमेशा सम्मान करता था। विवेचक द्वारा गलत विवेचना की गयी एवं झूठा मुकदमा लिखाया गया एवं गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

23– **बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 रामकेवल गोड़** ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि ," वह अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी को जानता है। उक्त अभियुक्तगण उसके गांव के रहने वाले हैं। उसका घर इनसे करीब ही है। राजू साहनी की शादी इस घटना से 8–10 वर्ष पूर्व जामवंती पुत्री संगम साहनी सा० मिश्रौली, थाना गगहा जिला गोरखपुर के साथ हुआ थी शादी में किसी भी तरह के दान दहेज की मांग राजू साहनी के परिवार अथवा किसी के द्वारा नहीं की गयी थी। शादी में दूसरे दिन विदा होकर जामवंती राजू साहनी व उसकी मां बिन्दू देवी कभी भी मोटरसाइकिल अथवा सोने की सिकड़ी अथवा किसी वस्तु की मांग नहीं करते थे न ही जामवंती को किसी प्रकार से प्रताड़ित करते थे। जामवंती सुन्दर थी व गौर वर्ण की थी राजू साहनी का रंग काला है। इसलिए वह राजू साहनी को पसंद न करते हुए दुखी रहती थी कुछ दिनों के बाद उसने बार बार अपने जान देने की बात भी कहती थी लेकिन ससुराल वालों के द्वारा कभी भी समझा बुझा करके उसे प्रेमपूर्वक बहु का दर्जा देकर के रखा जाता था राजू साहनी व बिन्दु देवी में जामवंती को भोजन में जहर नहीं दिया था। इन लोगों के अनुपस्थिति में उसने कुछ जाकर करके आत्महत्या किया था। राजू साहनी व उसके परिवारगणों द्वारा उपचार हेतु जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गयी थी। मायके वालों द्वारा फर्जी FIR देकर मुल्जिम बना दिया गया।

24– **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>**

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा तर्क दिये गये कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका जामवन्ती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसके भोजन में जहर देकर उसकी हत्या कर दी गयी। मृतका अपनी शादी के सात वर्ष के भीतर अभियुक्त के घर में मृत पाई गयी है। घटना के साक्षियों का पक्षद्रोही हो जाने से अभियुक्तगण का दायित्व समाप्त नही होता। अभियुक्तगण द्वारा इस तथ्य का

कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया कि मृतका की मृत्यु किन परिस्थितियों में उनके घर में हुई। अभियुक्त राजू साहनी घटना को अन्जाम देकर फरार हो गया। अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित होता है तथा अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

25– **<u>बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क :</u>**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटना के सभी साक्षी अभियोजन द्वारा स्वंय पक्षद्रोही घोषित कराये गये हैं। औपचारिक साक्षियों के समर्थन से यह नही माना जायेगा कि घटना के तथ्य भी साबित हो गये हैं। दहेज की मांग का भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। मृत्यु से ठीक पूर्व प्रताड़ित किये जाने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अभियोजन द्वारा मामले को सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। मृतका को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई निशान उसके शरीर पर नही पाया गया। मृतका को दुष्प्रेरित किये जाने का भी कोई साक्ष्य अभियोजन प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा है। दहेज मांगने या दहेज के संबंध में प्रताड़ना देने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। इनके खण्डन में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन कथानक तथा अभियोजन साक्ष्यों में विरोधाभास है। अभियोजन कथानक एवं अभियोजन दस्तावेजों के बिल्कुल विपरीत अभियोजन साक्षियों द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मामला किसी भी स्तर से सन्देह से परे साबित नही हुआ है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

26– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में उलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण राजू साहनी व श्रीमती बिन्दु देवी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुये दहेज हत्या कारित करने के बावत मुख्यतः धारा–498A, 304B भा०दं०सं० व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियक के तहत दण्डनीय अपराध के सापेक्ष आरोप विरचित किये गये हैं।

27– प्रस्तुत प्रकरण में अब न्यायालय को यह देखा जाना है कि क्या आरोप पत्र, संकलित साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्ष्यों द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित अपराधों के आरोप युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं।

28– अभियुक्तगण पर **धारा–498–A तथा 304–B भा०दं०सं०** के अपराध का आरोप है। धारा–498–A यह प्रावधानित करती है कि इसके अधीन स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित/क्रूरता किये जाने को परिभाषित किया गया है।

29– धारा–304–B भा0 दं0 सं0 दहेज मृत्यु को प्रावधानित करती है:–

जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है यह उसके विवाह के

सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के किसी नाते दार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

30– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा–304 –B भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत अपराध के घटक के सापेक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113–B एवं धारा–106 की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध उन्हीं परिस्थितियों में की जा सकती है जब अभियोजन दहेज की बावत मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता घटना से पूर्व दहेज की मांग दहेज हत्या के तथ्य को युक्ति–युक्त साक्ष्य से सिद्ध करे। इस स्तर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113–B एवं 106 का उल्लेख किया जाना आवशयक है– धारा–113–B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा–जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। धारा–106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम– विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार– जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

31– दहेज हत्या के मामले में अभियोजन को सिद्ध करने योग्य आवश्यक तत्वों के सापेक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खण्डपीठ द्वारा ***वी. के मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड (2015) 9 एस.सी.सी. 588 (थ्री–जज बेन्च), बैजनाथ बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. (2017) 1 एस.सी.सी. एवं सतवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा लाईव लॉ 2021 एस.सी. 260*** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "आई. पी सी. की धारा 304–बी के तहत किसी भी आरोपी को दोषसिद्ध किये जाने के लिये निम्नलिखित तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है–

1–किसी महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई।

2–ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।

3– ऐसी महिला के साथ उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीडन किया गया हो।

4– ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

5– ऐसी क्रूरता या उत्पीडन महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया हो।

32– **<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>**

प्रस्तुत प्रकरण में मृतका जामवन्ती की मृत्यु के संबंध में मामले के चिकित्सक डा0 राजेश कुमार जिनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3 तैयार की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अपने साक्ष्य में चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था। उसके शरीर पर कोई अन्दरूनी अथवा बाहरी चोट दर्शित नही थी। डाक्टर द्वारा कथन किया गया कि अगर कोई जहरीला पदार्थ खा ले तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो सकती है। इस बिन्दु पर अभियोजन कथानक **प्रदर्श क–1** में कथन है कि मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग के लिए मृतका की हत्या की गई, जबकि न्यायालय के समक्ष अंकित साक्ष्यों में अभियोजन साक्षियों द्वारा मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग न होने तथा मृतका के ससुराल में खुश होने का साक्ष्य दिया गया। दहेज की मांग, क्रूरता , प्रताड़ना के संबंध में कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है न ही मृत्यु से पहले मृतका से किसी प्रकार की क्रूरता का ही कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। बचाव साक्षी डी०डब्लू०–1 रामकेवल गोड़ द्वारा मृतका जामवन्ती द्वारा जहर खाकर आत्महत्या किये जाने का साक्ष्य दिया है। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० कहा कि मृतका जामवन्ती गोरी थी तथा राजू साहनी काला था जिस कारण वह उसे पसन्द नही करती थी। इसलिए दुखी रहती थी और बीमारी से ग्रसित थी। इसी बात से परेशान होकर उसके द्वारा आत्महत्या किये जाने का कथन किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट **प्रदर्श क–11(संशो०प्र०–13)** के अनुसार विसरा के पाँच भागो में एल्यूमीनियम फास्फाइड विष पाया गया, किन्तु वस्तु 6(परिरक्षी नमक का घोल) में विष नही पाया गया। अन्य रासायनिक विष के प्रयोग नकारात्मक रहे। मृतका की मृत्यु उसके शरीर में उपस्थित विष के कारण होना दर्शित होता है। चिकित्सक द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में मृतका की मृत्यु का समय एक दिन पूर्व होना पुष्ट होता है। चिकित्सक द्वारा अपने जिरह में यह कथन किया गया कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नही है लेकिन कोई व्यक्ति यदि जहरीला पदार्थ खा ले तो आत्महत्या के प्रकार की ऐसी मृत्यु हो सकती है। मृतका के शरीर पर अन्य कोई बाहरी एवं अन्दरूनी चोट नही थी। मृतका के शरीर पर बचाव की प्रतिस्पर्धा या अन्य किसी प्रकार की चोट पंचनामा प्रदर्श क–2 में नही है। पंचनामा दिनांक 05.09.2010 को किया गया है। जिसमें नियुक्त पंचान की राय के अनुसार मृतका के मुंह व नाक से झाग निकल रहे थे इस कारण उसकी मृत्यु विष के कारण हुयी है। जिससे यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुयी है।

33– **<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–2</u>**

द्वितीय बिन्दु के संबंध में मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई इसके संबंध में अभियोजन कथानक **प्रदर्श क–1** तथा प्रकरण के समस्त अभियोजन साक्षियों द्वारा मृतका

जामवन्ती की शादी जून 2007 को होना बताया गया है तथा उसकी मृत्यु दिनांक 04.09.2010 को दोपहर में होना बतायी गयी है। मृतका तथा अभियुक्त के विवाह के संबंध में बचाव पक्ष तथा अभियोजन साक्षियों तथा उपलब्ध दस्तावेजों में कोई विरोधाभास नही है यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि अभियुक्त राजू साहनी तथा मृतका जामवन्ती की शादी जून 2007 को हुई थी तथा जामवन्ती की मृत्यु दिनांक 04.09.2010 को दिन में होने का अभियोजन कथानक प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य भी इस मामले में विवादित नही है कि जामवन्ती की मृत्यु दिनांक 04.09.2010 को दिन में न हुई हो इसके संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन साक्षियों से कोई प्रतिपरीक्षा भी नही की गयी है। मृतका जामवन्ती के शव का परीक्षण (पोस्टमार्टम) दिनांक 05.09.2010 को समय 4:00 पी0एम0 से 4:30 पी0एम0 पर किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध है कि मृतका जामवन्ती की मृत्यु अभियुक्त राजू साहनी तथा जामवन्ती की शादी के लगभग चार वर्ष के भीतर हो गयी है। अर्थात् जामवन्ती की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होना अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है।

34– <u>अवधार्य बिन्दु संख्या–3,4 व 5</u>

दहेज हत्या के मामले में तृतीय बिन्दु पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना देने तथा चतुर्थ बिन्दु ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना दहेज की मांग या उससे संबंधित होने एवं पंचम बिन्दु क्रूरता या प्रताड़ना महिला की मृत्यु के ही पूर्व कारित किये जाने का संबंध है। इस संबंध में **पी०डब्लू० 1 बाबूलाल** जो कि मृतका का भाई है, द्वारा अपने अभियोजन साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि ," उसने अपनी बहन जामवन्ती देवी की शादी घटना से 8 वर्ष पहले राजू साहनी पुत्र राजमन के साथ हुई थी।शादी मे राजू सहानी के घरवालों द्वारा किसी प्रकार का कोई दान दहेज व मोटरसाइकिल की मांग नही किया गया था। उसकी बहन जामवन्ती ने ससुराल में अपने पति, ससुर व सास की दहेज को लेकर कभी कोई शिकायत नही की थी। उसकी बहन ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी ने उसकी बहन को जहर देकर नही मारा था। उसकी मृत्यु कब कैसे और किन परिस्थितियों में हुई थी। साक्षी को आज तक उसकी जानकारी नही हुई। घटना की सूचना गांव के किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर दिया गया था। गलतफहमी वश व लोगो के कहने पर अपने गांव के रामनाथ यादव से दरखास्त लिखवाकर थाने पर दिया था। उस दरखास्त में उन्होंने क्या लिख दिया था उसे पढ़कर नही सुनाया था। वह उनके कहने पर अपना हस्ताक्षर बना दिया। " अभियोजन साक्षीगण द्वारा मुख्य परीक्षा मे ही अभियोजन कथानक को साबित नही किया गया और दिये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज मांगने तथा दहेज के लिये प्रताड़ित करने तथा प्रताड़ना देते हुये उसकी हत्या करने के संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया

गया।

35– इस साक्षी से सहाययक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया कि साक्षी को उसका धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि इस तरह का कोई बयान उसने विवेचक को नही दिया था। उन्होंने कैसे लिख दिया नही बता सकता। इस साक्षी को विद्वान सहाययक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

36– इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि, " उसकी बहन जामवन्ती की शादी बिना दान दहज के राजी खुसी से हुई थी। अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी ने कभी भी मृतका से मोटरसाईकिल व सोने की चेन अथवा किसी वस्तु की माँग नही किया था। उक्त राजू साहनी व बिन्दू देवी वे मृतका को कभी भी प्रताड़ित नही किया था और न ही उसे भोजन में जहर दिया था। मैंने अपने तहरीर सूचना **प्रदर्श क–1** में जहर देने वाली बात नही लिखवाया था लिखने वाले ने कैसे लिख दिया मैं नही जान पाया। बहन/मृतका ससुराल में राजी खुशी रहती थी उसने कभी अपने ससुराल वालो की कोई शिकायत नही की थी।

37– पी०डब्लू०–2 संगम साहनी अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी ने अपनी शपथ पर मुख्य परीक्षा में इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि" मैने अपनी मुख्य परीक्षा में जो बयान दिया था वह बयान मैंने गांव वालो के लिखाने पढ़ाने पर दे दिया था। मुझे ऐसा बयान किसने सिखाया पढ़ाया था उसका नाम मुझे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि मैंने मुख्य परीक्षा में सही बात बतायी थी। मैंने अपनी मुख्य परीक्षा में झूंठा बयान दिया था। यह कहना गलत है कि मैने अपने बयान दिनांक 29.03.2022 जैसी घटना घटित हुई थी वैसा सही बयान दिया था। यह कहना गलत है अभियुक्तगण से अनुचित लाभ लेकर मैंने दिनांक 27.06.2022 व आज जो बयान दे रहा हूँ वह गलत दे रहा हूँ सही बात नही बता रहा हूं। परिवार के सदस्य तथा जमवन्ती शादी से खुश थी। शादी में कोई विवाद नही हुआ था। मेरी लड़की की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई थी। मेरी लड़की की मृत्यु कैसे हुई मुझे जानकारी नही है।

38– इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिससे जिरह किये जाने पर साक्षी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया कि मृतका जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नही है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा भी जिरह की गयी की जिसमें उसने यह साक्ष्य दिया कि जामवन्ती की शादी में उसकी ससुराल पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार के सामान अथवा नगद पैसो की मांग नही की गयी थी। वह अपनी ससुराल में सुखपूर्व रह रही थी। राजू साहनी व बिन्दू देवी द्वारा कभी भी मोटरसाईकिल की मांग नही की गयी न ही जामवन्ती को इसके लिये प्रताड़ित किये। उसने कभी अपने परिवार वालो की शिकायत नही की। राजू साहनी व बिन्दू देवी ने खाने में विष देकर नही

मारा था। विष देने वाली बात जो मैंने मुख्य परीक्षा में बतायी है वह पुलिस के सिखाने से डरवश मैंने लिखा दिया था। जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी मुझे आज तक नही है। जिस समय जामवन्ती की तबियत खराब हुई थी उस समय ससुराल के सभी लोग उसे बचाने का प्रयास किये थे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस साक्षी के साक्ष्यों के आधार पर भी अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की माग अथवा दहेज के संबंध में प्रताड़ना तथा दहेज न मिलने के कारण हत्या किया जाना साबित नही होता। मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार की प्रताड़ना भी साबित नही होती।

39– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 **राजू साहनी** को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी द्वारा अपने अभियोजन साक्ष्य में भी घटना का समर्थन नही किया गया। अभियुक्तगण द्वारा दहेज की माँग, दहेज की प्रातड़ना तथा उसकी बहन की मृत्यु कैसे हुयी इस बारे में कोई जानकारी होने से स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात जिरह की गयी जिसमें साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि वह जामवन्ती की शादी के बाद हैदराबाद चला गया था। वह दो तीन सालो में मौका मिलने पर घर आता था। वह जामवन्ती की शादी में उपस्थित था। लड़के पक्ष के परिवार से दहेज को लेकर कोई विवाद नही था। जामवन्ती के मरने की सूचना उसके पिता द्वारा उसे दी गयी थी। वह कैसे व किस कारण से मरी उसे इस बारे में कोई जानकारी नही है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा भी प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें यह साक्ष्य दिया कि उसकी बहन की शादी बिना दान दहेज के प्रसन्नतापूर्वक हुई थी। जामवन्ती के ससुराल वाले उससे किसी वस्तु, मोटरसाईकिल व सोने की चेन की माँग नही करते थे न ही कभी दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे। राजू साहनी व बिन्दू देवी ने न तो उसको खाने में जहर दिया न ही उसकी हत्या किये थे। जामवन्ती की तबियत खराब होने पर उसके ससुराल वालो द्वारा दवा इलाज का भी प्रयास किया गया। अभियुक्त राजू साहनी शरीर से काला था उसकी बहन गोरी थी यह बात मृतका को खलती थी। उसकी बहन ने कभी भी फोन पर ससुराल वालो की कभी शिकायत नही की थी। मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई इसकी जानकारी मुझे व मेरे परिवार वालो को नही है। इस साक्षी के बयान से भी अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, शारीरिक मानसिक रूप से किसी प्रकार प्रताड़ित करने या हत्या किये जाने का कथन साबित नही होता है।

40– **पी०डब्लू० 4 सोनकेसा देवी** जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया उसने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसकी लड़की की मृत्यु उसके ससुराल में हुयी थी कैसे मरी वह नही जानती। घटना की सूचना मिलने पर वह नकईल नही आयी थी। यह कहना गलत है जामवन्ती के ससुरालवालों द्वारा उससे दहेज में एक मोटरसाइकिल व सोने की चेन की माँग की जाती थी तथा उसे प्रताड़ित किया जाता था। जामवन्ती ने कभी भी फोन पर ससुराल वालो द्वारा प्रताड़ित करने की बात नही बतायी थी। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी

जिरह में यह साक्ष्य दिया गया कि ससुराल पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की दहेज की माँग करने, प्रताड़ित करने तथा अभियुक्तगण द्वारा मृतका को जहर देकर मारने से इंकार किया है।

41– **पी०डब्लू० 5 श्रीमती कुसुम देवी** ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि शादी में दोनो परिवार के बीच दहेज को लेकर कोई विवाद न होने, राजू साहनी व बिन्दू देवी द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग न करने और न ही उसे प्रताड़ित करने का साक्ष्य दिया है। उसकी मृत्यु कैसे व किन परिस्थितियों में हुयी इसके बारे में साक्षिया ने जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित कराया गया तथा उससे जिरह की गयी जिसमें उसने साक्ष्य दिया कि अपनी ससुराल में थी, इसलिए वह नकईल नही आयी थी। जामवन्ती ने उससे अपनी ससुराल की कोई शिकायत नही की थी। यह कहना गलत है कि जामवन्ती ने फोन करके बताया था कि उसके ससुराल वाले उससे एक माटरसाईकिल व एक सोने की चेन की माँग कर रहे हैं अगर नही मिला तो वह उसे मार देंगे। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह में यह साक्ष्य दिया कि जामवन्ती के ससुराल वाले राजू तथा बिन्दू देवी उसको मोटरसाईकिल व सोने की चेन की माँग को लेकर मारने पीटने व प्रताड़ित करने से इन्कार किया है तथा यह साक्ष्य दिया कि बिन्दू देवी व राजू ने जामवन्ती को जहर देकर नही मारा था। जामवन्ती सुन्दर थी राजू काला था इस बात का उसे दुख था।

42– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 6 रामदेव साहनी द्वारा जामवन्ती की मृत्यु के संबंध में कोई जानकारी न होने का साक्ष्य देते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया तथा उससे जिरह की गयी जिसमें उसने साक्ष्य दिया कि वह जामवन्ती के मरने के समय वह बम्बई में था। जामवन्ती की शादी में वह शामिल था। उस समय दान दहेज को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नही था। मृतका के ससुराल वालो द्वारा उससे मोटरसाईकिल एवं सोने की चेन मांगने की बात की जानकारी मुझे नही है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह में यह साक्ष्य दिया कि जामवन्ती की शादी घटना से आठ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में किसी प्रकार के दान दहेज की कोई बात नही की थी। राजू साहनी व सास बिन्दू देवी जामवन्ती को दहेज में मोटरसाईकिल व सोने की चेन के लिये कभी भी मारने पीटने, प्रताड़ित करने व उसकी ससुराल वालो द्वारा जहर देकर मारने से स्पष्ट इन्कार किया है। जामवन्ती गोरी थी व उसका पति काला था इसलिए वह उससे खुश नही रहती थी और उसे पसन्द नही करती थी।

43– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू० 7 रामनाथ यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि , सूचना पर वह बाबूलाल के कहने पर अगले दिन बाबूलाल के साथ थाना मदनपुर गया था। जामवन्ती की मृत्यु कैसे हुई थी इसके बारे उसे कोई जानकारी नही है।

बाबूलाल और दरोगा जी के कहने पर उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा था। इस साक्षी के द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी जिसमें उसने साक्ष्य दिया कि उसने **प्रदर्श क–1** बाबूलाल एवं दरोगा जी के कहने पर लिखा था। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नही है। वह इतनी जानकारी है कि जामवन्ती की मृत्यु हो चुकी है। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह में यह साक्ष्य दिया कि थाने पर मैं गांव वालो के साथ गया था। दरोगा जी के बोलने पर ही मैंने प्रदर्श क–1 लिखा था। इस केस के विषय में कोई जानकारी नही है। मृत्यु कब और किन परिस्थितियों में हुई इसकी भी कोई जानकारी मुझे नही है। राजू साहनी व उसकी सास बिन्दू देवी द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल व सोने की चेन के लिये जामवन्ती को मारा पीटा व प्रताड़ित किया गया ऐसा मैंने कभी नही सुना था।

44– पी०डब्लू०–8 डा० राजेश कुमार से बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में यह साक्ष्य दिया कि मृतका के शव के साथ कोई व्यक्ति नही था सिर्फ दो पुलिसकर्मी थे जिनके द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु मेरे पास लाया गया था। सामान्यतः मृत्यु के बाद आँख कन्जेस्टेड हो जाती है। मृतका के शरीर मे पैरो में अकड़न मौजूद थी। यह अकड़न मृत्यु के दो घण्टे पश्चात शुरू होती है और बारह घण्टे में पूरे शरीर में हो जाती है और लगभग बारह घण्टे रहती है और अगले बारह घण्टो में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मेरे द्वारा मृतका के शव परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट का निशान नही था और न ही अन्दरूनी चोट थी। चूंकि मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट नही थी इसलिए उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नही हुआ था। कोई व्यक्ति यदि जहरीला पदार्थ खा ले तो आत्म हत्या के प्रकार की ऐसी मृत्यु हो सकती है।

45– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभियोजन कथानक से यह स्पष्ट है कि जामवन्ती की मृत्यु दिनांक 04.09.2010 को दिन में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** में चिकित्सक पी०डब्लू० 8 डा० राजेश कुमार द्वारा मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया जिसकी रिपोर्ट में मृतका के शरीर में विष पाया गया। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि जामवन्ती की मृत्यु दहेज हत्या थी। अतः यह विचारणीय बिन्दु है कि मृतका द्वारा आत्महत्या की गयी तथा ऐसी आत्महत्या अभियुक्तगण द्वारा दी गयी प्रताड़ना के कारण की गयी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्ष्य के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका अपने ससुराल में खुश थी ससुराल वालों से उसके संबंध मधुर एवं सामान्य थे। अभियोजन द्वारा मृतका के साथ दहेज अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रताड़ना का तथ्य बखूबी साबित नही किया जा सका। ऐसी दशा में अभियोजन कथानक युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में भी असफल रहा है कि मृतका द्वारा अपनी आत्महत्या अभियुक्तगण द्वारा उत्प्रेरित किये जाने अथवा उनके द्वारा प्रताड़ना दिये जाने के कारण की गयी थी। ऐसी दशा में

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–304–B भा०दं०सं० के आवश्यक तत्व अभियोजन साबित नही कर सका है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण धारा–304B भा०दं०सं० में परीधि से भी बाहर है।

46– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षी जिसमें मृतका के पिता उसकी माता, उसकी बहन, भाई उनके साक्ष्यों से यह स्पष्ट नही है कि मृतका से अभियुक्तगण द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग की जाती हो तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा हो अथवा प्रताड़ना मृत्यु से ठीक पूर्व कारित की गयी हो। अतः यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज हत्या से संबंधित अवधार्य बिन्दु संख्या–3 लगायत 5 को बखूबी साबित करने में अथवा युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में असफल रहे हैं। अभियोजन मात्र यह साबित कर पाया है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुयी थी और ऐसी मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर हुयी थी। दहेज हत्या के लिए जब तक सभी बिन्दुओं को साबित न कर दिया जाये तब तक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–113–B भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दोषी होने की भी उपधारणा नही की जा सकती।

47– उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्यों के बयानों के आधार पर प्रकरण को अभियोजन युक्ति –युक्त सन्देह से परे अथवा बखूबी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका जामवन्ती को शादी के पश्चात दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित करने उसके पति या नातेदारों द्वारा दहेज के लिये शारीरिक अथवा मानसिक क्रूरता किया जाना अथवा अन्य किसी प्रकार से पीड़िता के साथ क्रूरता किये जाने अथवा दहेज हत्या अन्तर्गत धारा–498A, धारा–304–B भा०दं०सं० व ¾ डी०पी०एक्ट को साबित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

48– अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा धारा–302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया है। मृतका की मृत्यु अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के घर में हुई है। विवेचक पी०डब्लू०–11 श्री रमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा नक्शानजरी घटनास्थल को **प्रदर्श–09** के रूप में सिद्ध किया गया। विवेचक द्वारा नक्शानजरी को सिद्ध किया गया है नक्शानजरी से मात्र इतना प्रमाणित है कि घटनास्थल अभियुक्तगण का घर है जहाँ मृतका का शव रखा गया। पंचनामा **प्रदर्श क–2** तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** व विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु उसके शरीर में उपस्थित जहर से होना साबित है। जहर किसके द्वारा दिया गया यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से साबित नही हो सकता।

49– अभियोजन की ओर से परीक्षित तत्य एवं घटना के सभी साक्षी पी०डब्लू० 1 बाबूलाल जो कि मृतका का भाई है, पी०डब्लू०–2 संगम साहनी जो कि मृतका का पिता है,

पी०डब्लू०–3 राजू साहनी जो मृतका का भाई है, पी०डब्लू०–4 मृतका की माता है, पी०डब्लू०–5 जो मृतका की बहन है, पी०डब्लू०–6 रामदेव साहनी व पी०डब्लू०–7 रामनाथ यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनो में अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अभियोजन साक्षियों द्वारा पर्याप्त जिरह किये जाने के पश्चात भी अभियोजन किसी साक्षी से घटना के संबंध में दहेज की माँग किये जाने के संबंध में, दहेज की प्रताड़ना के संबंध में अथवा दहेज हत्या अथवा मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार की प्रताड़ना के संबंध में कोई साक्ष्य निकलवा पाने में अभियोजन पूरी तरह असफल रहा है। अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर मृतका को दहेज देने अथवा भोजन में जहर देकर हत्या किये जाने का कोई तथ्य साबित नही हो सका है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु में उसके ससुरालीजन का कोई योगदान नही रहा है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में अंकित किसी तथ्य का समर्थन स्वयं वादी मुकदमा अथवा अन्य साक्षियों द्वारा नही किया गया है। मृतका जामवन्ती की मृत्यु ससुराल में होने मात्र से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–498A, 304B भा०दं०सं० के अपराध का गठन सिद्ध नही हो जाता जब तक कि तथ्य के साक्षियों द्वारा घटना की पुष्टि न की जाये। औपचारिक साक्षी घटना के साक्षी नही हो सकते। उनके द्वारा मात्र दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अपराधो के आवश्यक तत्व सिद्ध न हो तो औपचारिक साक्षियों के साक्ष्य कमजोर होना स्वाभाविक है क्योंकि वह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही हो सकते। चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु के उपरान्त किये गये चिकित्सकीय परीक्षणों के संबंध में ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जो साक्ष्य संकलित किया गया तथा जो साक्ष्य अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० के अधीन दर्ज किये गये उनकी सम्पुष्टि तथ्य के किसी साक्षी द्वारा नही की गयी है बल्कि अभियोजन साक्षियों द्वारा पुलिस को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० पुलिस ने कैसे लिख दिये इस विषय में उन्हें कोई जानकारी होने से भी इन्कार किया गया है। जहाँ तक तहसीलदार एवं एफ०आई०आर० लेखक का प्रश्न है। तहसीलदार द्वारा मृतका के शरीर का ऊपरी परीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया। मृत्यु के कारण एवं आन्तरिक परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया तथा एफ०आई०आर० लेखक द्वारा प्रदर्श क–1 के दिये जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया। यह साक्षी भी घटना के तथ्यों के साक्षी नही हैं। मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, मृत्यु से पूर्व प्रताड़ना अथवा दहेज हत्या का साक्ष्य इन औपचारिक साक्षियों द्वारा नही दिया जा सकता। घटना के तथ्य के साक्षियों से धारा–498A, 304B भा०दं०सं० व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक तत्वों की पूर्ति करा पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा।

50– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर

से प्रस्तुत नही किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मृतका जामवन्ती का संबंध उसके ससुरालीजन से खुशहाल था तथा उसकी मृत्यु जहर खाने के कारण अवसाद में आकर की गई हो। यह भी साबित नही जहाँ तक धारा–302 भा०दं०सं० का संबंध है प्रस्तुत प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी एकमात्र साक्ष्य हो सकता है। जिसका विश्लेषण किया जाना भी समीचीन होगा। **शरद विरिधिचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** AIR 1984 SC 1622 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्षियों के संबंध में परिस्थितियों की सम्बद्ध श्रृंखला का उल्लेख किया गया है जिसके संबंध में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी भी अभियोजन द्वारा साबित नही की जा सकी है। जिससे यह अवधारित किया जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या की गयी है। बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा सफाई साक्ष्य में मृतका जामवन्ती द्वारा आत्महत्या किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। जो अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया जो यह सिद्ध करता हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका जामवन्ती की हत्या कारित की गयी। ऐसे में अभियोजन कथानक एवं उपलब्ध साक्ष्यों से धारा–302 भा०दं०सं० का अपराध भी युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नही होता तथा अभियुक्तगण इस सन्देह का लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं तथा सन्देह का लाभ पाते हुये धारा–302 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में भी **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

51– पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन एवं अर्थान्वयन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह साबित कर पाने में पूर्णतः असफल रहें हैं कि अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी द्वारा मृतका जामवन्ती को दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा उनके द्वारा दिनांक 04.09.2010 को वन्दना को प्रताड़ित करते हुये मार दिया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में अभियोजन अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–498A, 304B वैकल्पिक अपराध धारा–302 भा०दं०सं० तथा धारा– ¾ डी०पी०एक्ट का अपराध साबित करने में पूर्णतः विफल रहें हैं। अभियोजन अभियुक्तगण पर लगे किसी अपराध को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नही कर पायें हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुये **दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

52– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 श्री बाबूलाल साहनी पुत्र संगम साहनी, ग्राम–मिश्रौली, पोस्ट शिवपुर, थाना–गगहा, जिला गोरखपुर द्वारा घटना से संबंधित तहरीर **प्रदर्श क–1** में अभियुक्तगण को दोषी बताते हुये प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया। संबंधित तहरीर में साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर का होना सिद्ध किया गया है, परन्तु न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये बयानो में तहरीर से विपरीत जाकर अभियुक्तगण के निर्दोष होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया

गया है। अतः यह भी स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा शपथ पर न्यायालय के समक्ष या तो सत्य कथन किया गया है अथवा उसके द्वारा शपथ पर दिये गये बयान झूठे हैं। ऐसी स्थिति में **इस साक्षी के विरूद्ध धारा–383 बी०एन०एस०एस० (धारा–344 दं०प्र०सं०) की कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।**

आदेश

अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी को सत्र परीक्षण संख्या–176/2011, मुकदमा अपराध सं0–308/2010, अन्तर्गत धारा–498ए, 304–बी भा०दं०सं० तथा वैकल्पिक आरोप धारा–302 भा०दं०सं० तथा 3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना–मदनपुर, जिला देवरिया के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण राजू साहनी व बिन्दू देवी जमानत पर उनके जमानतनामे व बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 श्री बाबूलाल साहनी पुत्र संगम साहनी, ग्राम–मिश्रौली, पोस्ट शिवपुर, थाना–गगहा, जिला गोरखपुर के विरूद्ध इस निर्णय में व्यक्त सम्प्रेक्षण के परिपेक्ष्य में पृथक से **धारा–383 बी०एन०एस०एस० (धारा–344 दं०प्र०सं०) में अभियोग दर्ज कर नोटिस प्रेषित की जाये।**

दिनांक– 08.05.2025

(मृदॉशु कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय सं०–प्रथम, देवरिया।
जे०ओ० कोड– UP 1858

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित कर मुद्रांकित किया गया।

दिनांक– 08.05.2025

(मृदॉशु कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय सं०–प्रथम, देवरिया।
जे०ओ० कोड– UP 1858

Digitally signed by MRADANSHU KUMAR
Date: 2025.05.08 09:48:39 IST
Reason: Judgement
Location: Addl. District and Sessions Judge Deoria